

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०)ग्रा०-47/2011/राँची, दिनांक

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2170 दिनांक- 24.04.2019 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवनाथपुर प्रखण्ड सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल सं०-03, जल भवन, राँची के विरुद्ध निर्गत आदेश के कंडिका-04 (ii) में टंकन भूलवश "दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" अंकित हो गया है। इसके स्थान पर उक्त आदेश के कंडिका-04 (ii) में "एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" पढ़ा जाय।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2170 दिनांक- 24.04.2019 की अन्य कंडिकायें यथावत् रहेगी।

ह०/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-/राँची, दिनांक-


प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 2805/राँची, दिनांक- 28/5/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग (वित्त विभाग), झारखण्ड, राँची/श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल सं०-03, जल भवन, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓

 28.5.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव